

प्रेस नोट दिनांक- 06.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ लोगों में भय पैदा करने के उद्देश्य से अपने फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के निर्देशन में थाना पछांयगांव पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर लोगों को डराने व लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- कल दिनांक 05.02.2021 को इटावा पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान ज्ञात हुआ कि जॉनी यादव नाम के व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर अवैध शस्त्रों के साथ अपने फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये थे जिनसे आम जन में दहशत का माहौल बन रहा था तथा अधिक जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध शस्त्रों के साथ फोटोज के माध्यम से लोगों को डराया भी जा रहा है।

उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी संकलित करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति थाना पछांयगांव क्षेत्र का रहने वाला है तथा प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष पछांयगांव को निर्देशित किया गया था।

जिसके सम्बन्ध में थाना पछांयगांव पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते आज दिनांक 06.02.2021 को अभियुक्त को आगरा रोड स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा तथा 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए तथा अभियुक्त द्वारा बताया गया उसके द्वारा फोटोज में भी इसी तमंचे का प्रयोग किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पछांयगांव पर मु0अ0सं0 06/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जॉनी यादव उर्फ मनीष कुमार पुत्र सियाराम यादव नि0 ग्राम बहादुरपुर थाना पछांयगांव इटावा।

बरामदगी-

1.01 तमंचा 315 बोर

2.02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम- श्री सतीश चन्द्र थानाध्यक्ष पछांयगांव मय टीम।

मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद इटावा।